भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3624

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

तमिलनाडु में किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों को मजबूत करना

3624. श्री अरुण नेहरूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान पेरम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु के कृषि जिलों में कुल कितनी किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों (एफपीसी) को शामिल किया गया है;
(ख) क्या सरकार ने इन ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण समितियों के समक्ष अनिवार्य डिजिटल फाइलिंग, सांविधिक रजिस्टरों के रख-रखाव और वार्षिक कारपोरेट लेखापरीक्षा करने में आ रही महत्वपूर्ण अनुपालन चुनौतियों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) तमिलनाडु के पेरम्बलूर के आर्थिक रूप से पिछड़े और शुष्क क्षेत्रों में कार्य कर रही कृषि आधारित उत्पादक कंपनियों को क्या विशिष्ट विनियामक छूटें, अनुपालन शुल्क में छूट अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा क्या है;
(घ) कारपोरेट गवर्नेंस के प्रबंधन में स्थानीय मक्का और कपास किसानों की सहायता करने के लिए तमिलनाडु में कंपनी पंजीयक द्वारा कुल कितनी क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं; और
(ङ) क्या सरकार किसान समूहों को और अधिक औपचारिक रूप देने को प्रोत्साहित करने के लिए किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों के लिए सांविधिक अनुपालन और रिपोर्टिंग ढांचे को सरल बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, तमिलनाडु के जिलों में कुल उनचास (49) किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों (एफपीसी) का निगमन किया गया है तथा उक्त अवधि के दौरान पेरम्बलूर जिले में किसी किसान उत्पाद संबंधी कंपनी का निगमन नहीं किया गया। निर्वाचन क्षेत्र-वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अनुपालन संबंधी चुनौतियों के ऐसे विशिष्ट मामले इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आए हैं।

(ग) एमसीए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुपालन ढांचे का प्रशासन अपने ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एमसीए21 के माध्यम से करता है, जो कंपनियों (जिसमें किसान उत्पाद संबंधी कंपनियाँ/कृषि-आधारित कंपनियाँ भी शामिल हैं) तथा एलएलपी द्वारा सांविधिक ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ग(5) के अनुसार, एफपीसी को एक निजी कंपनी माना जाता है। मंत्रालय ने उत्पादक कंपनियों सहित सभी कंपनियों के लिए कारपोरेट अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) तथा असाधारण आम बैठकें (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 446ख के अनुसार उत्पादक कंपनियों के लिए कम दंड का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ग(5) के अनुसार, उत्पादक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों को विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं, जो उत्पादक कंपनियों पर भी लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर कंपनियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतें, जैसे एजीएम की अवधि बढ़ाना, वार्षिक फाइलिंग के लिए समय-सीमा में रियायत आदि भी उत्पादक कंपनियों पर लागू होती हैं।

कानून के तहत ग्रामीण किसानों को व्यक्तिगत रूप से लिए डिजिटल फाइलिंग, सांविधिक रजिस्टरों अथवा कारपोरेट ऑडिट का प्रबंधन करना अपेक्षित नहीं है। इसके बजाय, धारा 378ब(1) के तहत एक पूर्णकालिक, पेशेवर मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जो बाहरी व्यक्ति होना चाहिए तथा सदस्य-किसान नहीं होना चाहिए। धारा 378 ब(5) के अंतर्गत यह पेशेवर व्यक्ति लेखा-पुस्तकों के रख-रखाव, ऑडिट प्रक्रिया के संचालन तथा सभी विधिक एवं विनियामकीय मामलों के प्रबंधन के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी है। अतः, सांविधिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि अनुपालन एवं विनियामकीय पहलुओं का प्रबंधन एक पेशेवर कार्मिक द्वारा ही किया जाए।

(iii) एफपीसी सामान्यतः लघु कंपनियाँ होती हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 में सभी लघु कंपनियों के लिए कम अनुपालन का प्रावधान किया गया है, जैसे:-

- लघु कंपनियों के लिए संक्षिप्त वार्षिक विवरणी निर्धारित की गई है।

- 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों के निगमन के लिए अथवा गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के मामले में 20 सदस्यों तक की कंपनियों के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378य-ओ के अनुसार, उत्पादक कंपनी के गठन, प्रबंधन या कारोबार से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन सुलह या मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378घ के अनुसार, ऐसे मामले में, जहाँ सदस्यता में केवल व्यक्तिगत सदस्य शामिल हों, मतदान का अधिकार, प्रत्येक सदस्य के लिए एक मत के आधार पर होगा चाहे उत्पादक कंपनी में उसकी शेयरधारित हो या संरक्षण।

(vi) मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी, 2026 के सामान्य परिपत्र संख्या 01/2026 के माध्यम से कंपनी अनुपालन सुविधा स्कीम, 2026 (सीसीएफएस-2026) शुरू की है। इस स्कीम के तहत कंपनियाँ (किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों सहित) वार्षिक विवरणियों, वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आदि से संबंधित लंबित प्रपत्र लागू अतिरिक्त शुल्क के केवल 10 प्रतिशत का भुगतान करके दाखिल कर सकती हैं। यह स्कीम 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुई थी और मूल रूप से 15 जुलाई, 2026 तक वैध थी, जिसे अधिक संख्या में कंपनियों को इसके लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इसकी अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 तक कर दी गई है।

(घ) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है।

(ङ) किसान उत्पाद संबंधी कंपनियों के लिए सांविधिक अनुपालन एवं रिपोर्टिंग ढाँचे को और अधिक सरल बनाने के लिए कारपोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें धारा 378त (निदेशकों की नियुक्ति), धारा 378थ (निदेशकों द्वारा पद की रिक्ति), धारा 378म (गणपूर्ति), धारा 378यक (वार्षिक आम बैठकें), धारा 378यच (आंतरिक लेखापरीक्षा), धारा 378यड (उल्लंघन के लिए शास्ति) तथा धारा 378यध (उत्पादक कंपनी का अंतर-राज्यीय सहकारी समिति में पुनःरूपांतरण) में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है।
